उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-1575/30-3-2014-32एम/2013टी.सी.
लखनऊ दिनांक 16 जून 2014
''राज्य सड़क सुरक्षा नीति''

1-प्रस्तावना-

i. उत्तर प्रदेश सरकार हाल के कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं, इनमें घायल एवं मृत्यु की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को लेकर चिंतित है। यह वास्तविकता है कि अब मार्ग दुर्घटनाएं जन स्वास्थ्य का मुद्दा बन गया है और समाज का गरीब वर्ग इससे अधिकांशतः पीड़ित है।

ii. उत्तर प्रदेश सरकार का यह मत है कि चूंकि सड़क दुर्घटनाओं में मुख्य रूप से सड़क, सड़क उपयोगकर्ता तथा वाहन मुख्य तत्त्व होते हैं, इसलिए सड़क सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार यह महसूस करती है कि सड़क दुर्घटनाओं और इनमें घायलों एवं मरने वालों की संख्या में कमी लाना केंद्र व राज्य सरकार दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

iii. इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाने के प्रति कटिबद्ध है।

2- नीति सम्बन्धी विवरण :

i. सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता :

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं और इसके सामाजिक एवं आर्थिक निहितार्थों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के गंभीर प्रयास करेगी। सड़क सुरक्षा के नियोजन और इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं एवं व्यक्तियों को सरकार सुविधा प्रदान करेगी। नागरिकों में जागरूकता को बढ़ावा देने से वे इसे राज्य की महत्त्वपूर्ण समस्या रूप में समझ सकेंगे।

ii. संस्थागत व्यवस्थाओं का सुद्रढ़ीकरण :

सरकार प्रभावी संस्थागत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगी एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य सड़क सुरक्षा कोष का गठन करेगी।

iii. सड़क सुरक्षा सूचना डेटा बेस की स्थापना :

सरकार एक राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सूचना तंत्र स्थापित करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के प्राविधान के अनुरूप भारत सरकार की सहायता ली जाएगी।

iv. सुरक्षित सड़क अवस्थापना सुनिश्चित करना :

सरकार द्वारा सड़कों की सुरक्षित डिजाइन के सन्दर्भ में प्रभावी नियोजन को बढ़ावा देने के उपाय किये जायेंगे। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों की डिजाइनिंग करने में सर्वोत्तम पद्धतियों (ठमेज चतंबजपबमे) को सम्मिलित किया जाये। सरकार दुर्घटना बाहुल्य

स्थलों (ब्लैक स्पाट्स) में सुधार कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध सड़कों के लिए दुर्घटना न्यूनीकरण रणनीति अपनाएगी।

v. सुरक्षित वाहन :

सरकार समस्त वाहनों की सड़क पर संचालन की उपयुक्तता की जांच के लिए विधिक समयबद्ध निरीक्षण की अनिवार्यता को प्रोत्साहित करने के उपाय करेगी। सरकार वाहन जनित प्रदूषण को कम करने एवं वायु की गुणवत्ता स्तर में सुधार के लिये कठोर कदम उठायेगी।

vi. सुरक्षित चालक :

सरकार चालक प्रशिक्षण हेतु अवस्थापना विकास के प्राविधान को प्रोत्साहित करेगी। सरकार मानव शक्ति में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार लाने के भी प्रयास करेगी ताकि ड्राइविंग लाइसेंस के अभ्यर्थियों की ड्राइविंग दक्षता की जांच और उसका मूल्यांकन किया जा सके।

VII. असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सभी सड़कों के डिजाइन व निर्माण में गैर मोटरीकृत परिवहन (छवद उवजवतप्रमक ज्तंदेचवतज) तथा शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

VIII. सड़क सुरक्षा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण

सरकार द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा प्रचार अभियानों के माध्यम से लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के उपाय किए जायेंगे। सड़क सुरक्षा को स्कूल और कालेजों के पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा दक्ष लोगों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। यह कार्यक्रम शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाया जायेगा।

IX. यातायात सम्बन्धी कानूनों का प्रवर्तन

सरकार का यह भी प्रयास होगा कि यातायात नियमों के प्रवर्तन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाये तथा केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली पहल पर सकारात्मक कदम उठाये जायें। सरकार इस बात के लिये भी उचित कदम उठायेगी कि प्रवर्तन संस्थाओं के पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हों, एवं वे अपने कार्यों के निष्पादन हेतु पूरी तरह सुसज्जित हों।

X. सड़क दुर्घटना में घायलों हेतु आपात चिकित्सकीय सहायता

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के गम्भीर प्रयास करेगी कि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को तत्काल एवं प्रभावी ट्रामा केयर एवं अन्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें मिले। इस प्रकार की सेवाओं के मुख्य कार्यों में राहत एवं बचाव कार्य यथा चिकित्सा पूर्व देखभाल, दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं घायल व्यक्ति का उपयुक्त अस्पताल तक परिवहन सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश सरकार यह भी सुनिश्चित करने के उपाय करेगी कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति उचित समयावधि में मिले।

XI. सड़क सुरक्षा अनुसंधान

राज्य सरकार जहाँ तक सम्भव होगा केंद्र सरकार के उन प्रयासों का भी समर्थन करेगी जिनका उद्देश्य सड़क अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों को बेहतर बनाना है और साथ ही केंद्र सरकार से भी यह चाहेगी कि राज्य में इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाये। यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश की अनुसंधान संस्थाओं को उचित समर्थन या सहयोग दिया जाये ताकि अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि की जा सके।

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव
परिवहन